न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 254 / 2013

अनवान : –

1. श्यामादेवी पुत्री जैसाराम पत्नी मंगतुराम जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर हाल आबाद रेल्वे स्टेशन के पास पिछे वाला मोहल्ला सिंरसा तहसील सिरंसा हरियाणा।

– वादी

बनाम्

1. राधेश्याम पुत्र जैसाराम जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मुन्नालाल पुत्र जैसाराम जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. नदलाल पुत्र जैसाराम जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर – फौत
   3/1. पार्वती पत्नी नंदलाल 3/2 मनोज कुमार पुत्र नन्दलाल 3/3. मांगीलाल पुत्र नन्दलाल
4. सलामू पुत्र सदीक जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. हासन अली पुत्र श्री जमालदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. रोहिताश कुमार पुत्र श्री मदनलाल जाति माली निवासी पचंलगी जिला झून्झूनू
7. रंगलाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

8. शान्ति देवी पुत्री जैसाराम पत्नी लालचन्द जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर हाल आबाद शनि मन्दिर के पास सिंरसा तहसील सिंरसा।
9. ललिता देवी पुत्री जैसाराम पत्नी हरीराम जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर हाल आबाद शनि मन्दिर के पास सिंरसा तहसील सिंरसा।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
11. उप पंजीयक महोदय नोहर तहसील नोहर।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी जरई खाता स० 80/70 के प०न० 320/435 के मु०न० 65 के किला न० 11 की 0.253 हैक्ट, 12 की 0.253 हैक्ट, 13 की 0.253 हैक्ट, किला न० 14 की 0.253 हैक्ट, किला न० 15 की 0.228 हैक्ट, 16 की 0.228 हैक्ट, 17 की 0.253 हैक्ट, 18 की 0.253 हैक्ट, 19 की 0.253 हैक्ट, 20 की 0.253 हैक्ट, कुल किता 10 की 2.480 हैक्ट० बारानी व प०न० मु०न० 130/24 की 0.050 हैक्ट, गैर मुमकिन रास्ता कुल तादादी 2.530 हैक्ट, वाके रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर तथा खाता स० 65/61 के प०१० 320/435 के गुठन० 65 के किला न० 22 की 0.253 हैक्ट, 23 की 0.253 हैक्ट, 24 की 0.253 हैवाट, 25 की 0.228 हैक्ट, कुल तादादी 1.012 हैक्ट, प०न० 321/430 (79) के किला न० 1 की 0.253 हैक्ट, 2 की 0.253 हैक्ट 3 की 0.253 हैक्ट, 7 की 0.253 हैक्ट, 8 की 0.253 हैक्ट, 9 की 0.253 हैक्ट, 10 की 0.253 हैक्ट, 11 की 0.253 हैक्ट, 12 की 0.253 हैक्ट, [illegible] कुल तादादी 2.783 हैक्ट, बारानी भूमि प०न० 329/430 के मु०न० ४० के किला न० 2 की 0.253 हैक्ट, 3 की 0.253 हैक्ट, 4 की 0.253 हैक्ट, 5 की 0.228 हैक्ट, [illegible] 7 की 0.253 हैक्ट, 8 की 0.253 हैक्ट, 9 की 0.253 हैक्ट, 12 की 0.253 हैक्ट, 13 की 0.253 हैक्ट, 14 [illegible] 0.253 हैक्ट, 15 की 0.228 हैक्ट, कुल तादादी 2.961 हैक्ट, भूमि तथा प०न० मु०न० 130/7[illegible] 0.100 हैक्ट, गै.मु. रास्ता की कृषि भूमि यानी कुल 28 किता की कुल तादादी 6.831 हैक्ट, बारानी भूमि वाके रोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:10:18 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मोजा चक 14 बारानी तहसील नोहर में 1/3 हिस्सा जैसाराम वल्द देईमान जाति डाकोत निवासी नोहर के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी।

खाता स० 80/70 की कुल तादादी 2.530 हैक्ट, वाके रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर की उपरोक्त वर्णित वाद भूमि वाद वफात जैसाराम वादिया व प्रतिवादीगण स० 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 8 व 9 व मृतक गिनी बेवा जैसाराम ब.हि.ब. हर एक का 1/7 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुये तथा इसी प्रकार खाता स० 65/61 की कुल तादादी 6.831 हैक्ट, वाके रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के 1/3 हिस्सा में वादिया व असल प्रतिवादीगण स० 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 8 व 9 व मृतक गिनी पत्नी स्वर्गीय जैसाराम ब.हि.ब. हर एक का 1/7 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुये। उक्त आराजी जरई बाद फौतदगी जैसाराम वल्द देईमान जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर प्रतिवादीगण स० 1 ता 3 ने राजस्व रेकार्ड कर्मचारियों से साजबाज कर उक्त भूमि अपने अकेलो व मृतक गिनी बेवा जैसाराम के नाम ब०हि०ब० हर एक का 1/4 हिस्सा के मुताबिक दर्ज करवाली जो नियम विरूद्ध है तथा उक्त इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण स० 1 ता 3 ने उक्त आराजी जरई खाता स० 80/70 की कुल तादादी 2.53 हैक्ट, वाके रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर में से 3/4 हिस्सा भूमि वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 8 व 9 का हक मारने की नियत से उक्त भूमि का बैयनामा प्रतिवादीगण स० 4 सलामू के पक्ष में तस्दीक करवाया रजि० करवा दिया तथा प्रतिवादी स० 2 व 3 ने उक्त भूमि में अपनी माता गिनी की हिस्सा में मिली भूमि का बैयनामा 1/6 हिस्स प्रतिवादी स० 5 को करवाया दिया तथा प्रतिवादी स० 5 ने आगे अपनी भूमि प्रतिवादीगण स० 6 व 7 को हक ज्यादा का बेयनामा करवाया दिया तथा खाता की भूमि में वादीया अपने आपको 1/6 हिस्सा यानी 0.4217 हैक्ट, भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने की मजाज है।

उक्त आराजी जरई खाता स० 65/61 की कुल तादादी 6.831 हैक्ट, में से 1/3 हिस्सा वाके रोही मौजा चक न० 14 बारानी तहसील नोहर जिसका पुरा विवरण अर्जीदावा की मद स० 3 में दर्ज है बाद वफात जैसाराम वादिया व असल प्रतिवादीगण स० 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 8 व 9 मृतक गिनी देवी पत्नी स्वर्गीय जैसाराम ब०हि०ब० हर एक का 1/7 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुये तथा उक्त भूमि प्रतिवादी स० 1 ता 3 ने राजस्व कर्मचारियों से साजबाज करके कतई गलत रूप से अपने व मृतक गिनी बेवा जैसाराम के नाम ब०हि०ब० दर्ज करवायी जिससे वादिया के खातेदारी हकुक का हनन होता है तथा वादिया अपने खातेदारी हकुक की घोषणा करवा कर व मृतक गिनी के नाम वर्ज भूमि में घोषणा करवा कर जमाबन्दी दुरूस्त करवा वादिया उक्त खाता स० 65/61 कुल तादादी 6.831 में से 1/3 हिस्सा यानी 2.277 हैक्ट, वाके रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर में अपने आपको 1/6 हिस्सा यानी 0.3795 हैक्ट, की मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने की मजाज है। आराजी जरई खाता स० 80/70 की कुल तादादी 2.53 हैक्ट, वाके रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर में वादिया का 1/6 हिस्सा यानी 0.4217 हैक्ट, भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण स० 1 ता 3 ने प्रतिवादी स० 4 को वैयनामा हक से ज्यादा है तथा इसी प्रकार मृतक गिनी के नाम दर्ज हक से ज्यादा भूमि का बैयनामा प्रतिवादी स० 2 व 3 ने प्रतिवादी स० 5 के पक्ष में करवाया है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी स० 5 ने अपने बैयनामा प्रतिवादी स0 6 व 7 के पक्ष में हक से ज्यादा करवाया है, तथा वह वादिया के हकुक के खिलाफ व प्रभावहीन है तथा इसी प्रकार आराजी जरई खाता स० 65/61 की कुल तादादी 6.831 हैक्ट, वाके रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर में से 1/3 हिस्सा यानी 2.277 हैक्ट, में वादीया का 1/6 हिस्सा की यानी 0.3795 हैक्ट, की मुश्तरका खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण स० 5 ता 7 को करवाये गये बैयनामे हक से ज्यादा है तथा वादिया के हकुक के खिलाफ प्रभावहीन है तथा वादिया उक्त भूमि खाता स0 65/61 की कुल तादादी 6.831 हैक्ट, भूमि में से 1/3 हिस्सा यानी 2.277 हैक्ट, वाके रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर में अपने आपको 1/6 हिस्सा यानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:10:18 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0.3795 हैक्ट, भूमि की खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने बी की मजाज है तथा यही बिनाय दावा है।

जमबान्दी दुरूस्त की जाकर अराजी जरई खाता स० 80/70 की कुल तादादी 2.530 हैक्ट, वाके रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर में वादीया अकेली 1/6 हिस्सा यानी 0.4217 हैक्ट, भूमि की मुश्तरका खातेदार काश्तकार घोषित की जावे तथा आराजी जरई खाता स० 65/61 की कुल तादादी 6.831 हैक्ट, भूमि में से 1/3 हिस्सा यानी 2.277 हैक्ट, वाके रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर में वादिया अकेली 1/6 हिस्सा यानी 0.3795 हैक्ट, भूमि की मुश्तरका खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्तानुसार हक व हिस्सा के मुताबिक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमाय जावे। प्रतिवादीगण न० 4 ता 7 के पक्ष में करवाये गये बैयनामा हक से ज्यादा होने की वजह से वादिया के हकुक के खिलाफ प्रभावहीन व शुन्य घोषित किया जावे।

प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है बहस सुनी जावे।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि खाता स० 80/70 की कुल तादादी 2.530 हैक्ट, वाके रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर की उपरोक्त वर्णित वाद भूमि वाद वफात जैसाराम वादिया व प्रतिवादीगण स० 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 8 व 9 व मृतक गिनी बेवा जैसाराम ब.हि.ब. हर एक का 1/7 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुये तथा इसी प्रकार खाता स० 65/61 की कुल तादादी 6.831 हैक्ट, वाके रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर के 1/3 हिस्सा में वादिया व असल प्रतिवादीगण स० 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 8 व 9 व मृतक गिनी पत्नी स्वर्गीय जैसाराम ब.हि.ब. हर एक का 1/7 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार हुये। उक्त आराजी जरई बाद फौतदगी जैसाराम वल्द देईमान जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर प्रतिवादीगण स० 1 ता 3 ने राजस्व रेकार्ड कर्मचारियों से साजबाज कर उक्त भूमि अपने अकेलो व मृतक गिनी बेवा जैसाराम के नाम ब०हि०ब० हर एक का 1/4 हिस्सा के मुताबिक दर्ज करवाली जो नियम विरूद्ध है तथा उक्त इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादीगण स० 1 ता 3 ने उक्त आराजी जरई खाता स० 80/70 की कुल तादादी 2.53 हैक्ट, वाके रोही मौजा चक 14 बारानी तहसील नोहर में से 3/4 हिस्सा भूमि वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 8 व 9 का हक मारने की नियत से उक्त भूमि का बैयनामा प्रतिवादीगण स० 4 सलामू के पक्ष में तस्दीक करवाया रजि० करवा दिया तथा प्रतिवादी स० 2 व 3 ने उक्त भूमि में अपनी माता गिनी की हिस्सा में मिली भूमि का बैयनामा 1/6 हिस्स प्रतिवादी स० 5 को करवाया दिया तथा प्रतिवादी स० 5 ने आगे अपनी भूमि प्रतिवादीगण स० 6 व 7 को हक ज्यादा का बेयनामा करवाया दिया तथा खाता की भूमि में वादीया अपने आपको 1/6 हिस्सा यानी 0.4217 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने की मजाज है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त वाद भूमि वादीया व प्रतिवादी स0 1, 6 व 7 के नाम दर्ज राजस्व [illegible] कथन है कि जैसाराम जो की वादीया का पिता है के देहान्त के बाद प्रतिवादी [illegible] 3 व गिन्नी पत्नी जैसाराम ने राजस्व कर्मचारियो से साजबाज कर [illegible] करवा ली जबकि वादीया का भी उक्त भूमि मे हिस्सा था प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने उक्त भूमि को जरिये बेयनामा प्रतिवादी स0 4 को बैय कर दी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 ने गिन्नी [illegible] नाम दर्ज भूमि को प्रतिवादी स0 5 को बैय कर दिया प्रतिवादी स0 5 ने आगे उक्त भूमि प्रतिवादी स0 6 व 7 को बैय कर दी जबकि उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:10:18 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि में वादीया का भी हक हिस्सा था उक्त समस्त बैयनामे वादीया के हकों के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन है।

वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक सम्वत 2029 ता 2038 में उक्त भूमि जैसाराम के नाम दर्ज रही है एवं जमाबंदी सम्वत 2066 ता 69 के मुताबिक उक्त भूमि जरिये दानपत्र प्रतिवादी स0 1 ता 3 व गिन्नी के नाम दर्ज हुई है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि जैसाराम की स्वयं अर्जित भूमि है एवं जैसाराम द्वारा उक्त भूमि का दानपत्र किया गया है दानपत्र आदिनांक तक वैद्य है अर्थात वादिया ने दानपत्र के खंडन में कोई दस्तावेज पेश नही किया है अत जब तक दानपत्र वैध है तब तक वादीया इस न्यायालय से अनुतोष पाने की अधिकारी नही है। अत वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 07/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:10:18 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 254/2013

अनवान : –

1. श्यामादेवी पुत्री जैसाराम पत्नी मंगतुराम जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर हाल आबाद रेल्वे स्टेशन के पास पिछे वाला मोहल्ला सिंरसा तहसील सिरंसा हरियाणा।

– वादी

बनाम्

1. राधेश्याम पुत्र जैसाराम जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. मुन्नालाल पुत्र जैसाराम जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. नदलाल पुत्र जैसाराम जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर – फौत
   3/1. पार्वती पत्नी नंदलाल 3/2 मनोज कुमार पुत्र नन्दलाल 3/3. मांगीलाल पुत्र नन्दलाल
4. सलामू पुत्र सदीक जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. हासन अली पुत्र श्री जमालदीन जाति मुसलमान कुम्हार निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. रोहिताश कुमार पुत्र श्री मदनलाल जाति माली निवासी पचंलगी जिला झून्झूनू
7. रंगलाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।

–असल प्रतिवादीगण

8. शान्ति देवी पुत्री जैसाराम पत्नी लालचन्द जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर हाल आबाद शनि मन्दिर के पास सिंरसा तहसील सिंरसा।
9. ललिता देवी पुत्री जैसाराम पत्नी हरीराम जाति डाकोत निवासी नोहर तहसील नोहर हाल आबाद शनि मन्दिर के पास सिंरसा तहसील सिंरसा।
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
11. उप पंजीयक महोदय नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 254 सन 2013 निर्णय दिनांक 07/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:10:18 IST
Reason: SelfAttested